प0 सं0–14/डी0एल0ए0 (सम्पर्क सड़क) शिवहर–35/2013–1423/रा0, पटना–15 दिनांक–29/05/2013

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
भू–अर्जन निदेशालय, बिहार, पटना
अ धि सू च ना

संख्या डी0एल0ए0 शिवहर /रा0 पटना दिनांक–

चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतित हुआ है कि ग्राम काशोपुर, थाना नं0–108 राजस्व थाना पुरनहिया, परगना बाबरा चम्पारण अंचल–पुरनहिया, थाना–पुरनहिया, जिला–शिवहर में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात सम्पर्क पथ निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है। इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम–काशोपुर, के अंतर्गत 0.9500 एकड़ भूमि अपेक्षित है, जो मानक माप के कमोवेश बी0/क0/धूर है, जो 0.9500 एकड़ के बराबर होता है, जिसका खेसरा संख्या निम्नांकित है:–

खेसरा नं0 1517 अंश, 1518 अंश,1476 अंश, 1477 अंश, 1474 अंश, 1516 अंश, 1473 अंश

थाना नं0–108 काशोपुर का चौहद्दी निम्न प्रकार है।

उत्तर खेसरा–1516,1517,1518
दक्षिण खेसरा– 1473,1474,1477,1476
पूरब–महरानी स्थान
पश्चिम–मेन रोड

यह अधिसूचना अधिनियम 1, 1894 (बिहार अधिनियम–2 1961 द्वारा संशोधित) की धारा 4 के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे संबंध हो।

उक्त भूमि का नक्सा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, शिवहर के कार्यालय में देखा जा सकता है और चूँकि बिहार राज्यपाल का राय है कि कुल 0.9500 एकड़ भूमि योग्य है, तथा तुरंत अर्जन आवश्यक है। इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा (4) के अधीन निदेश दिया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (ए) अंश के उपबंध उक्त भूमियों पर लागू नहीं होगें।

बिहार राजयपाल के आदेश से।

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, शिवहर।	अपर समाहर्ता शिवहर।	समाहर्ता शिवहर।	सरकार के अवर सचिव,

ज्ञापांक:– /डी0एल0एस0, शिवहर/रा0, –1423/रा0, दिनांक:– 29-05-13

प्रतिलिपि:–निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन अतिरिक्त प्रतियाँ सी0डी0 के साथ दो दैनिक समाचार पत्रों में, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो प्रकाशनार्थ। इसकी प्रकाशित प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, शिवहर को उपलब्ध उपलब्ध कराया जाय।

प्रतिलिपि:–प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट, शिवहर की अधिसूचना की दो प्रतियाँ सहित गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट को 10 (दस) अतिरिक्त प्रतियाँ इस विभाग एवं जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, शिवहर को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:–समाहर्ता, शिवहर/अपर समाहर्ता, शिवहर/ जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:–आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

बिहार राजयपाल के आदेश से।

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, शिवहर।	अपर समाहर्ता शिवहर।	समाहर्ता शिवहर।	सरकार के अवर सचिव,